# भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
दूरभाष 2305068

सं. 187/विविध/2015(कैंटीन-आईजीएल)/पत्र/ईसीआई/प्रकार्या./प्रशा./2016 दिनांक: 05.10.2016.

## निविदा सूचना

विषय: निर्वाचन सदन में ओआईएसडी मानकों तथा पीएनजीआरबी दिशा-निर्देशों सहित कमर्शियल पीएनजी कनेक्शन हेतु एम आर एस और आंतरिक पाइपिंग करने तथा उसकी आपूर्ति हेतु कुटेशन – तत्संबंधी।

भारत निर्वाचन आयोग की विभागीय कैन्टीन में पीएनजीआरबी दिशा-निर्देशों तथा ओआईएसडी मानकों सहित आईजीएल द्वारा पूर्व-विनिर्दिष्ट और पूर्व अनुमोदित सामग्री का प्रयोग करते हुए एमआरएस तथा आंतरिक पाइपिंग और अन्य फिक्सर हेतु कमर्शियल पीएनजी कनेक्शन के लिए आपूर्ति, उसे संस्थापित करने, टेस्टिंग और कमीशनिंग हेतु प्रतिष्ठित विक्रेताओं से सीमित निविदा जांच के माध्यम से 'तकनीकी बोली' और 'वित्तीय बोली' अर्थात् द्वि-बोली प्रणाली के अंतर्गत मुहरबंद कुटेशन आमंत्रित की जाती हैं। विशिष्टियों में संपूर्ण आवश्यक सामग्री, फैब्रीकेशन, इरेक्शन एम आर एस तक निरीक्षण जांच और कमीशनिंग तथा एम आर एस के आउटलेट से उपकरण तक आंतरिक पाइपिंग शामिल हैं।

2. आपसे अनुरोध है कि आप दो अलग मुहरबंद लिफाफे जिन पर **"कमर्शियल पी एन जी कनेक्शन के लिए आंतरिक पाइपिंग संस्थापित करने, बिछाने और इरेक्ट करने, फेब्रीकेशन तथा आपूर्ति हेतु तकनीकी बोली" और "कमर्शियल पी एन जी कनेक्शन के लिए आंतरिक पाइपिंग संस्थापित करने, बिछाने और इरेक्ट करने, फेब्रीकेशन तथा आपूर्ति हेतु वित्तीय बोली" लिखा हो**, जमा कराएं। दोनों मुहरबंद लिफाफों को एक तीसरे मुहरबंद लिफाफे जिस पर "निर्वाचन आयोग की विभागीय कैन्टीन में पी एन जी कनेक्शन देने के लिए पाइपलाइन को लगाने संबंधी कुटेशन" लिखा होना चाहिए। इसे "अवर सचिव (समान्य प्रशासन), भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली" को भेजा जाना चाहिए। यह कुटेशन निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली में **24.10.2016** को अपराह्न **3:00** बजे तक पहुंच जानी चाहिए। तकनीकी बोली उसी दिन अर्थात् **24.09.2016** को बोलीदाताओं या उनके प्रतिनिधियों, जो वहां रहना चाहते हैं, की उपस्थिति में आयोग द्वारा प्रयोजनार्थ गठित समिति द्वारा कमरा संख्या 209-ई में अपराह्न 4:00 बजे खोली जाएगी। वित्तीय बोली केवल उन्हीं निविदाकारों की खोली जाएगी जिनकी वित्तीय बोली नियमानुसार पाई जाएगी, वित्तीय बोली खोलने के लिए तारीख और समय के संबंध में अलग से सूचित किया जाएगा। वित्तीय बोली को उन अर्हता प्राप्त निविदाकारों या उनके प्रतिनिधि(यों), जो उस समय वहां उपस्थित रहना चाहते हैं, की उपस्थिति में आयोग द्वारा इस प्रयोजनार्थ गठित समिति द्वारा खोला जाएगा।

3. इच्छुक पार्टियां अपेक्षित कार्य की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए साइट का निरीक्षण कर सकती हैं ताकि बोली को जमा कराने से पहले वित्तीय बोली में सही आकलन दिया जा सके।

भवदीय,

(राजन जैन)
अवर सचिव

**अनुबंध-I**

# निबंधन व शर्तें

1. विक्रेता, पी एन जी आर बी दिशा-निर्देशों और ओ आई एस डी (तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय) मानकों सहित आई जी एल द्वारा पूर्व-विनिर्दिष्ट और अनुमोदित सामग्री का प्रयोग करते हुए कमर्शियल पी एन जी कनेक्शन हेतु एम आर एस और आंतरिक पाइपिंग की टेस्टिंग और कमीशनिंग, संस्थापित करने तथा उसकी आपूर्ति के लिए जिम्मेदार होगा। विशिष्टियों में संपूर्ण अपेक्षित सामग्री, फैब्रीकेशन, इरेक्ट करना, निरीक्षण, एम आर एस तक टेस्टिंग और कमीशनिंग तथा एम आर एस आउटलेट से उपकरणों तक आंतरिक पाइपिंग शामिल होगी।
2. आंतरिक पाइपिंग कार्य के पूर्ण होने पर पी एन जी आर बी दिशा-निर्देशों के अनुसार विक्रेता तीसरे पक्ष (टी पी आई) के निरीक्षक से फिटनेस प्रमाणपत्र उपलब्ध कराएंगे।
3. यह कार्यालय सबसे कम उद्धृत लागत को मानने को बाध्य नहीं है और प्राप्त किए गए किसी भी या सभी दस्तावेजों को बिना कोई कारण बताए अस्वीकृत करने का अधिकार रखता है। किसी भी संबंध में अपर्याप्त या अपूर्ण निविदाएं अथवा निर्धारित शर्तें पूरा न करने वाली निविदाएं अस्वीकृत कर दी जाएंगी। निविदाकारों/बोलीदाताओं द्वारा किसी भी रूप में अनुयाचन के परिणामस्वरूप उनकी निविदाएं अस्वीकृत हो जाएंगी।
4. मैसर्स इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आई जी एल) द्वारा पूर्व-विनिर्दिष्ट और पूर्व-अनुमोदित सामग्री/उपस्कर(रों) की विस्तृत मद-वार सूची तथा उसकी प्रकृति (उपभोज्य/गैर-उपभोज्य), निर्माण और मॉडल इत्यादि जो कि प्रयोग की जानी है के संबंध में सूचना दस्तावेजों को जमा कराते समय उपलब्ध कराई जाएगी।
5. सरकारी/प्राइवेट फर्मों, जहां पी एन जी कमर्शियल गैस कनेक्शन का कार्य पिछले 3-5 वर्षों में किया गया हो, की एक प्रति प्रस्तुत की जाएगी।
6. विक्रेता द्वारा दस्तावेजों के साथ सरकारी सेवा/सैल/वैट देयताओं के अधीन मान्य पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति प्रस्तुत की जाएगी।
7. बोलीदाता के पास पैन संख्या होनी चाहिए। पैन कार्ड की स्व–प्रमाणित प्रति जमा कराई जाएगी।
8. बोलीदाता का पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2013-14, 2014-15 तथा 2015-16) में 25 लाख प्रत्येक वर्ष का न्यूनतम वित्तीय टर्नओवर होना चाहिए तथा साथ ही वह 31 मार्च, 2016 को समाप्त पिछले, तीन वित्तीय वर्षों की टैक्स विवरणियों की प्रतियां भी जमा कराएगा।
9. विक्रेता के पास उपर्युक्त प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रूपये से अधिक के एकल आदेश को कार्यान्वित करने का अनुभव होना चाहिए।
10. बोलीदाता द्वारा बयाना राशि के रूप में 5,000/- रूपये (रूपये पांच हजार केवल) की राशि डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर के रूप में "अवर सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली" के पक्ष में जमा कराई जाएगी।
11. बोलीदाता द्वारा उद्धृत दरों में कार्य को पूरा करने के लिए अपेक्षित सभी एवं कोई अन्य आकस्मिक कार्य तथा सभी कर सम्मिलित माने जाते हैं, परन्तु इसमें सेवा कर सम्मिलित नहीं है। सेवा कर उसी मूल्य बोली प्रारूप में – अतिरिक्त रूप में उद्धृत किया जाएगा।
12. दरों को शब्दों तथा संख्याओं दोनों में अंकित किया जाना चाहिए। निविदाओं में सभी प्रविष्टियां स्याही से लिखी होनी चाहिए अथवा टाइप किया होना चाहिए। ओवरराइटिंग नहीं होनी चाहिए। सुधार, यदि कोई हो, तो उसे बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर सहित अभिप्रमाणित किया हुआ होना चाहिए।
13. विक्रेता द्वारा आई जी एल के ऐसे आंतरिक पाइप लगाने तथा अन्य संगत कार्य के निष्पादन को प्राधिकृत करने के प्रमाणपत्र की एक प्रति, यदि उपलब्ध हों, तो प्रस्तुत करनी होगी।
14. यदि ऐसा प्रतीत होता है कि कार्य के निष्पादन के दौरान आपूर्ति किए जाने वाले उत्पाद/सामग्री/खराब हैं या निम्न स्तर के हैं अथवा आवश्यकता या नियम एवं शर्तों के अनुरूप नहीं है, तो फर्म/संविदाकार को इस कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर अपनी लागत पर कमियों को तत्काल दूर करना होगा या आवश्यकता/विनिर्देशन के अनुसार नए उत्पाद उपलब्ध कराने होंगे। यदि उत्पाद या सेवाएं औद्योगिक मानकों के अनुरूप नहीं हैं तो भारत निर्वाचन आयोग को, सक्षम प्राधिकारी के पूर्ण विवेकानुसार उचित समझे जाने वाली ऐसी कार्रवाई करने का अधिकार होगा।
15. यदि विक्रेता/संविदाकार, संविदा/वारंटी की अवधि, जो भी हो, के दौरान नियम एवं शर्तों के अनुसार कार्य करने में असफल रहता है या संतोषजनक सेवाएं प्रदान नहीं करता है तो विक्रेता/ठेकेदार को उपयुक्त जुर्माना देना होगा। इस संबंध में, इस कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय विक्रेता/संविदाकार के लिए अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।
16. विक्रेता इस कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व लिखित सहमति के बिना पूरे या कार्य के किसी भाग को उप किराए पर नहीं देगा। सिवाय संविदा में अन्यथा उल्लेख किए गए कार्य को छोड़कर। यदि ऐसी सहमति दी जाती है तो संविदाकार को संविदा के तहत किसी दायित्व अथवा जिम्मेदारी से छूट नहीं होगी और वह वे किसी एजेंट, उसके एजेंट

के नौकर या कारीगर के कार्य, गलतियों तथा लापरवाहियों के लिए पूरी तरह उसी प्रकार उत्तरदायी होंगे जैसे कि वे विक्रेता, उसके एजेंट के नौकर या कारीगर द्वारा की गई गलतियां या लापरवाही थीं।

17. जैसा कि उनकी ओर से आपसी सहमति हुई है या स्वीकृति है, सम्पूर्ण संस्थापन/प्रणाली उपलब्ध कराने, स्थापित करने, जांच करने तथा आरंभ करने हेतु दी गई समय-सीमा का सख्ती से पालन किया जाना है। आपूर्ति कराने या संस्थापित कराने आदि में किसी भी विलम्ब के लिए संविदाकार 2 प्रति सप्ताह की दर से परिनिर्धारित नुकसान का दायी होगा बशर्ते कि यह देरी तीन सप्ताह से अधिक न हो और इसके पश्चात इसमें आदेश को रद्द करने का विकल्प होगा तथा विक्रेता/संविदाकार के जोखिम तथा लागत पर किसी अन्य, सेवा प्रदाता से सामग्री प्राप्त कर ली जाएगी। इस संबंध में इस कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा तथा विक्रेता/संविदाकार पर बाध्यकारी होगा।
18. संपूर्ण संविदा/वारंटी की अवधि में इस कार्यालय के संबंधित प्राधिकृत अधिकारी/अधिकारियों/प्रयोक्ताओं द्वारा की गई सभी शिकायतें, जो असीमित होंगी, उन पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी शिकायत पर निर्धारित समय में कार्रवाई नहीं की जाती है तो कार्य के समाप्त होने/कॉल क्लोज़र तक इस कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त जुर्माना लगाने संबंधी निर्णय लिया जाएगा।
19. यदि संविदा की अवधि के दौरान किसी कमी का पता चलता है या प्रयोक्ता द्वारा शिकायत की जाती है, तो विलंबित समाधान या किसी अन्य कारण से कार्य की किसी अव्यवस्था के लिए प्रतिपूर्ति की उगाही करने का निर्णय इस कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विक्रेता संविदाकार से जुर्माना दावा अधिरोपित करके लिया जाएगा।
20. यदि किसी कारणवश, संविदाकार शिकायतों/समस्या को सुलझाने में असमर्थ रहता है, तो कार्य किसी अन्य फर्म या खुले बाजार से संविदाकार की जोखिम तथा लागत पर करवा लिया जाएगा एवं उस पर उपगत व्यय को विक्रेता/संविदाकार से वसूला जाएगा। इसमें संविदा को समाप्त भी किया जा सकता है।
21. संविदाकार, संविदा अवधि के दौरान हमेशा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार या इस कार्यालय तथा अन्य सभी स्थानीय प्राधिकरणों के विनियमों तथा उप-नियमों या राज्य विधानमंडल तथा संसद द्वारा लागू किए गए विभिन्न श्रम अधिनियमों में निहित उपबंधों एवं इसके अधीन बनाए गए नियमों के साथ-साथ वे सभी जो श्रमिकों के कल्याण तथा सुरक्षा या आम जनता की सुरक्षा के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कामगार प्रतिपूर्ति अधिनियम, भविष्य निधि विनियम आदि तथा अन्य बीमा उपबंधों का अनुपालन करेंगे।
22. संविदाकार संविदा के अधीन निर्वाचन सदन परिसर के भीतर किसी कार्य को करते समय उसके अपने श्रमिकों या अन्य व्यक्तियों को चोट लगने तथा संपत्ति के किसी नुकसान होने पर मुआवजा के किसी दायित्व के लिए इस कार्यालय को क्षतिपूर्ति करेगा।
23. **सफल बोलीदाता को जमानत राशि के रूप में 15,000/- रू. (पंद्रह हजार रूपये मात्र) की बैंक गारंटी देनी होगी। बैंक गारंटी अवश्य राष्ट्रीयकृत बैंक से बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में हो जो कि अवर सचिव, भारत निर्वाचन आयोग" के पक्ष में दिल्ली में देय हो। आयोग की पूर्ण संतुष्टि के साथ कार्य नहीं किए जाने के मामले में जमानत राशि जब्त की जा सकती है। जमानत राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा तथा इसे कार्य के समाप्त होने की तिथि से एक वर्ष की गारंटी/रख-रखाव की अवधि की समाप्ति के पश्चात् ही जारी किया जाएगा।**
24. बोलीदाता को एक घोषणा पत्र अवश्य प्रस्तुत करना होगा कि कम्पनी(एजेंसी) के मालिक/फर्म/साझीदार के विरूद्ध पुलिस/अदालत में कोई मामला लंबित नहीं है तथा बोलीदाता को किसी संगठन के द्वारा निलंबित/ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है।
25. संबंधित कार्य को पूरा करने के लिए कार्य आदेश की तारीख से संपूर्ण अवधि 30 दिन होगी तथा तृतीय पक्ष निरीक्षण सहित सभी प्रबंध इसी अवधि के अंदर सम्पन्न किए जाएंगे।
26. कार्य के लिए 100 प्रतिशत भुगतान कार्य के सफलतापूर्वक सम्पन्न होने के पश्चात किया जाएगा तथा किसी भी चरण में कोई आंशिक भुगतान नहीं किया जाएगा। सरकारी नियम के अनुसार यथा प्रयोज्य करों की कटौती की जाएगी।

**(राजन जैन)**
**अवर सचिव**
**दूरभाष सं. 23052068**

**अनुलग्नक-।।**

# वित्तीय बोली

कार्य का नाम: भारत निर्वाचन आयोग की विभागीय कैंटीन में पी एन जी सप्लाई करने के लिए आंतरिक पाईपलाईन की आपूर्ति एवं संस्थापन करना।

| क्रम सं. | मदों का विवरण | मात्रा | इकाई | विनिर्देश एवं निर्माण प्रकार | अंकों (रू.) में दर | कुल राशि (रू. में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | गैस एजेंसियों द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार कार्य पूर्ण करने के लिए 50 एम एम व्यास के टाटा/जिंदल/महाराष्ट्रा सीमलैस/आई एस एम टी ए-106 ग्रेड बी मानक अनुसूची 40 के सीमलैस पाईप तथा पाईप फिटिंग ए एस टी एम ए 234 डब्ल्यू पी बी ब्राण्ड, एम एस एंगेल, सस्पैंडर, क्लैम्पो, रिडयूसर, एलबो, सभी ऐसे सरीज सहित कप्लिंग, हार्डवेयर, गैसकिट, बैण्ड एम एस एंगेल, संस्पैडर, क्लैंप, रिडयूसर, एल्बो कप्लिंग तथा फ्लेंज आदि फिटिंग जैसे एल्बो, टी, फ्लेंज आदि सहित प्रसिद्ध ब्राण्ड के 2 "सी.एस. सीमलैस पाईप की आपूर्ति, फैब्रिकेशन, संस्थापन, टैस्टिंग तथा कमिशनिंग। सभी पाईप फ्लैं0ज डब्ल्यू एन आर एफ टाईप के अनुरूप होंगे तथा एएसटीएम-ए 105 के अनुसार होंगे। पाईप लाइन स्वीकृत मेक के प्राइमर से एक कोट तथा कनेरी पीले पेंट के दो कोट के साथ पेंट की जाएगी। पाईप लाईन आई जी एल मानकों के अनुसार तृतीय पार्टी द्वारा गैस एजेंसियों के मानकों द्वारा जांच की जाएगी। | | | आई जी एल विनिर्देश/ डिजाईन कोड़ एवं मानकों के अनुसार | | |
| 2. | आई जी एल मानकों के अनुसार कार्य पूर्ण करने के लिए सभी एक्सेसरीज सहित सम्पूर्ण " हाफ इंच वाल्व फॉर्ज्ड कॉर्बन आयरन थ्री पीस डिजाइन बॉडी सहित सैण्डविच पैटर्न तथा एएसटीएमए-105 के लिए फॉर्ज्ड कॉर्बन स्टील के एन्ड कनेक्टर उडको (एल एण्ड टीम) मेक के एंटिस्टेटिक स्टील के बॉल तथा स्टर्नम की आपूर्ति, फैब्रिकेशन, संस्थापन टैस्टिंग तथा कमिशनिंग। | | | आई जी एल विनिर्देश/ डिजाईन कोड़ एवं मानकों के अनुसार | | |
| 3. | आई जी एल मानकों के अनुसार कार्य पूर्ण करने के लिए सभी एक्सेसरीज सहित सम्पूर्ण 2" वॉल्व सिंगल पीस डिजाइन, बॉडी सहित प्रैसर क्लास 150 एएसए के लिए अग्नि सुरक्षा डिजाइन तथा एएसटीएमए216 के लिए कॉर्बन स्टील को डालना, उडको (एल एण्ड टी) के एस एस 316 के जी आर डब्ल्यू सी बी बॉल तथा स्टर्न की आपूर्ति, फैब्रिकेशन, संस्थापन, टैस्टिंग तथा कमिशनिंग। | | | आई जी एल विनिर्देश/ डिजाईन कोड़ एवं मानकों के अनुसार | | |
| 4. | आई जी एल मानकों के अनुसार कार्य आदि को पूर्ण करने के लिए सभी एक्सेसरीज सहित संपूर्ण 1" वाल्व | | | आई जी एल विनिर्देश/ | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | सिंगल पीस डिजाइन, बॉडी सहित प्रैसर क्लास 150 एएसए के लिए अग्नि सुरक्षा डिजाइन तथा उडको (एल एण्ड टी मेक) के एस एस 316 के स्टर्न की आपूर्ति, फैब्रिकेशन, संस्थापन, टैस्टिंग तथा कमिशनिंग। | | | डिजाईन कोड़ एवं मानकों के अनुसार | | |
| 5. | आई जी एल मानकों के अनुसार कार्य पूर्व करने के लिए सभी ऐक्सरीज के फेब्रिकेशन सहित एच-गुरू या समान मेक के प्रैसर गेज को उपलब्ध करवाना तथा फिक्स करना। | | | आई जी एल विनिर्देश/ डिजाईन कोड़ एवं मानकों के अनुसार | | |
| 6. | आई जी एल मानकों के अनुसार कार्य आदि पूर्व करने के लिए सभी ऐक्सेरीज के फेब्रिकेशन सहित सुरक्षा या समान मेक के स्टील ब्रेडिड रबर होज 1.5 मी. को उपलब्ध करवाना तथा फिक्स करना। | | | आई जी एल विनिर्देश/ डिजाईन कोड़ एवं मानकों के अनुसार | | |
| 7. | आई जी एल मानकों के अनुसार आई जी एल एम आर एस से तृतीय तल पर कैंटीन तक पी एन जी पाईपलाईन के संस्थापन के लिए स्कैफोल्डिंग प्रभार। | | | | | |
| 8. | पाईपलाईन के अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अनिवार्य आई जी एल अनुमोदित टी पी आई एजेंसी के तृतीय पार्टी निरीक्षण प्रभार। | | | | | |

स्थान: मुहर सहित संविदाकार के हस्ताक्षर

दिनांक: